उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-542/2025/547के-2/22-3-25-17(1108)/2023
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बनवारी (बन्दी संख्या-48415) पुत्र श्री बच्चूलाल सिंह, निवासी ग्राम-बेहटी, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-61/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-02, सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 02.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 04.12.2015 को निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा, की दिनांक 22.03.2023 तक आयु 66 वर्ष 07 माह होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 22.03.2023 तक 06 वर्ष 11 माह 01 दिन की अपरिहार सजा एवं 08 वर्ष 09 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
5- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।